

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद शामली में कराये जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक 08.07.2026 का कार्यवृत्त।

दिनांक 08.07.2026 को श्री आलोक यादव, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, शामली की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे—

1. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, शामली।	उपाध्यक्ष
2. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), शामली	सदस्य सचिव
3. प्रभागीय वनाधिकारी, शामली।	सदस्य
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शामली।	सदस्य
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शामली।	सदस्य
6. अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई, विभाग शामली।	सदस्य
7. जिला कृषि अधिकारी, शामली।	सदस्य
8. जिला सूचना अधिकारी, शामली।	सदस्य
9. अधिशासी अभियन्ता पूर्वी यमुना नहर, शामली।	सदस्य
10. जिला पंचायत राज अधिकारी, शामली।	सदस्य

(अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा नामित)

इसके अतिरिक्त समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, पी0डब्लू0डी0, शामली, सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), शामली, सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) खण्ड मेरठ, जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (डी0पी0एम0यू0), डी0पी0एम0 टी0पी0आई0 एवं सम्बन्धित फर्म के परियोजना प्रबन्धक आदि भी उपस्थित रहे।

समीक्षा बैठक हेतु बैठक एजेण्डा सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), शामली द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया :-

बिन्दु संख्या- 1

जे0जे0एम0 के अन्तर्गत जनपद में निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जे0जे0एम0 के अन्तर्गत जनपद में 182 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 181 नग पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिसके अन्तर्गत 1515 कि0मी0 पाइप लाइन के सापेक्ष 1323 कि0मी0 पाइप लाइन पूर्ण, 109646 नग हाउस कनेक्शन के सापेक्ष 106520 नग हाउस कनेक्शन पूर्ण एवं 182 नग उच्च जलाशय के सापेक्ष 177 नग उच्च जलाशय पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया जिसमें से 55 नग उच्च जलाशय के कार्य पूर्ण। रोड पुर्नस्थापन के अन्तर्गत जनपद शामली में वर्तमान तक 932 कि0मी0 के सापेक्ष 873 कि0मी0 रोड पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही वर्तमान तक 238 ग्रामों के सापेक्ष 106 ग्रामों में शत-प्रतिशत स्थाई रोड पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नियमित पेयजल आपूर्ति (जल निगम एवं जल जीवन मिशन) हेतु जनपद में 289 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 169 राजस्व ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति दी जा रही है साथ ही 06 ग्रामों में वर्तमान में पाइप लाइन टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है शीघ्र ही 06 ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रदान कर दी जायेगी।

Handwritten signature/initials.

अध्यक्ष महोदय द्वारा समीक्षा के दौरान निम्न निर्देश दिये गये।

- 1- उच्च जलाशय के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि सभी पूर्ण उच्च जलाशयों की वाटर टेस्टिंग पूर्ण कर उच्च जलाशय के माध्यम से जलापूर्ति देना सुनिश्चित करें।
- 2- वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में जिन पेयजल योजनाओं पर पाइप लाइन बिछाने के उपरान्त इन्टर कनेक्शन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है उन योजनाओं पर शीघ्र अति शीघ्र पाइप लाइन इन्टर कनेक्शन का कार्य पूर्ण करें एवं अधोहस्ताक्षरी को योजनाओं की वितरण प्रणाली, रोड पुर्नस्थापन, नियमित पेयजल आपूर्ति की विस्तृत जानकारी ऑटो कैड ड्राईंग पर तैयार कर पी0डी0एफ0 फार्म में बनाने के निर्देश दिये गये।
- 3- नियमित पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओं पर उच्च जलाशय या डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से जलापूर्ति दी जा रही है उन योजनाओं पर नियमित पेयजल आपूर्ति का समय निर्धारित कर निर्धारित समय पर पेयजल आपूर्ति करना सुनिश्चित करें। साथ ही ग्राम के अन्तिम छोर (टेल एण्ड) तक पेयजल आपूर्ति दी जाये।
- 4- रोड पुर्नस्थापन के सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित सचिवों के माध्यम से रोड पुर्नस्थापन की वास्तविक सूचना उपलब्ध करायें।
- 5- पेयजल योजनाओं पर लगे स्काडा के डाटा को वास्तिकता के आधार पर सही कराने के निर्देश दिये गये।
- 6- प्रत्येक विकास खण्ड में 5-5 योजनाएँ जिन पर पेयजल आपूर्ति बिना उच्च जलाशय (डायरेक्ट पम्पिंग) के माध्यम से की जा रही है उनकी सूची तैयार कर अध्यक्ष महोदय को विजिट हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

बिन्दु संख्या- 2 भूमि की अनुपलब्धता एवं विवादित पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में 1 नग पेयजल योजन पर भूमि की अनुपलब्धता एवं 2 नग पेयजल योजना पर विवाद होने के कारण कार्य रुका हुआ है जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

Wic
E.F.

क्र० सं०	तहसील का नाम	विकास खण्ड	ग्राम का नाम	कार्य की स्थिति	भूमि का विवरण	टिप्पणी
भूमि की अनुपलब्धता						
1	शामली	थानाभवन	उस्मानपुर	—	1— गाटा सं०— 365, क्षेत्र 0.1580 है० (खाद गडढा)	प्रशासन द्वारा दी गयी भूमि (खाद गडढा) पर दो बार बोरिंग मशीन पहुँचाई गयी लेकिन कुछ ग्रामीणों द्वारा खाद के गडढे वाली भूमि पर लगातार विरोध किया गया। उप जिलाधिकारी महोदय शामली द्वारा अपने पत्रांक— 3433/एस०टी० दिनांक 11.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में खाद के गडढे के रूप में अंकित है जिससे पेयजल योजना हेतु स्थाई निर्माण नियमसंगत नहीं है एवं ग्राम में अन्य कोई गैर प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में फर्म (जे०एम०सी०—लक्ष्मी जे०वी०) द्वारा पेयजल योजना हेतु भूमि क्रय की कार्यवाही अपेक्षित है।
विवादित पेयजल योजनाओं का विवरण						
2	कैराना	कैराना	गोगवान	ट्यूबवैल बोरिंग पम्प हाउस, बाउन्ड्रीवॉल, एवं पाइप लाइन आदि का कार्य पूर्ण	1— गाटा सं०— 512 क्षेत्र 0.0510 है०, भूमि मानक के अनुसार (तालाब के ऊपर) सही नहीं पायी गयी साथ ही मौके पर केवल 0.0100 है० ही मौजूद थी।	मदरसा समिति एवं ग्राम प्रधान की सहमति उपरान्त मदरसा की भूमि पर ट्यूबवैल बोरिंग, पम्प हाउस एवं बाउन्ड्रीवॉल का कार्य पूर्ण किया जा चुका है परन्तु वर्तमान में उच्च जलाशय के निर्माण में मदरसा समिति द्वारा विरोध किया जा रहा है। दिनांक 10.06.2026 को ग्राम पंचायत समिति/ मस्जिद अरबी स्कूल प्रबन्धक समिति, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) व कार्यदायी संस्था की सामूहिक बैठक की गयी। बैठक में ग्राम पंचायत समिति द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उच्च जलाशय हेतु लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक सरकारी भूमि उपलब्ध है, जिसका खसरा सं० 422 है। ग्राम पंचायत व मस्जिद अरबी स्कूल प्रबन्धक समिति द्वारा सर्वसहमति के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि, पम्प हाउस मदरसा की भूमि पर ही स्थापित रहेगा व चारदीवारी को हटा लिया जायेगा।

WkE
E:E

3	कैराना	कैराना	जगनपुर (कण्डेला जोन-1)	-	-	ग्राम समिति एवं ग्रामवासियों द्वारा पाइप लाइन बिछाने में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है एवं उनके द्वारा अलग से ग्राम जगनपुर में ट्यूबवैल एवं उच्च जलाशय की मांग की जा रही है। जबकि ग्राम जगनपुर हेतु कण्डेला पेयजल योजना के माध्यम से कण्डेला ग्राम में पूर्व से निर्मित उच्च जलाशय के माध्यम से जलापूर्ति देने का प्राविधान प्राक्कलन में सम्मिलित है। डी०पी०आर०ओ०, बी०डी०ओ० एवं जल निगम द्वारा खुली बैठक कर ग्रामवासियों को इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए योजना के कार्य प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया परन्तु ग्राम समिति द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करने दिया गया।
---	--------	--------	------------------------------	---	---	--

उस्मानपुर पेयजल योजना हेतु भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित फर्म को निर्देश दिये गये कि पेयजल योजना हेतु ग्राम पंचायत समिति से सम्पर्क कर भूमि दान/क्रय के माध्यम से भूमि प्राप्त कर पेयजल योजना पर कार्य प्रारम्भ किया जाये। भूमि दान/क्रय में यदि प्राक्कलन की लागत बढ़ती है तो इस सम्बन्ध में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा इस पर सहमति का आश्वासन दिया गया।

गोगवान ग्राम पेयजल योजना के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि ग्राम पंचायत व मस्जिद अरबी स्कूल प्रबन्धक समिति से समन्वय स्थापित कर उच्च जलाशय हेतु भूमि प्राप्त कर पेयजल योजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करें साथ ही डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से पेयजल आपूर्ति प्रदान करें।

बिन्द संख्या- 3 (अध्यक्ष महोदय के निर्देशों के क्रम में) :-

बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा फर्म मै० जे०एम०सी० प्रोजेक्ट एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल० जे०वी० मुम्बई के एस०पी०एम० श्री भीम सिंह को योजनाओं की विस्तृत जानकारी न होने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। साथ ही चेतावनी दी गयी अगर एस०पी०एम० द्वारा अपनी कार्य शैली में सुधार नहीं किया गया तो जल निगम (ग्रामीण) के उच्चाधिकारियों को इस सम्बन्ध में अवगत करा दिया जायेगा।

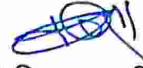
जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन समस्त योजनाओं की वितरण प्रणाली, रोड पुर्नस्थापन, नियमित पेयजल आपूर्ति की विस्तृत जानकारी ऑटो कैड ड्राईंग पर तैयार कर पी०डी०एफ० फार्म में आगामी बैठक में अंधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

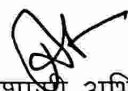
Wk
E.F

समीक्षा बैठक में भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यों हेतु पेयजल योजनाओं पर नियुक्ति किये गये कर्मचारियों (गार्ड/पम्प ऑपरेटर इत्यादि) का वेतन न देने के सम्बन्ध में नाराजगी व्यक्त की गयी है और आदेश दिये गये हैं कि यदि फर्म द्वारा उक्त समस्या का समाधान एक सप्ताह के अन्दर नहीं किया गया तो सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध लेबर कोर्ट में शिकायत दर्ज की जाये।


अधिशाली अभियन्ता
खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
शामली


जिला कृषि अधिकारी,
शामली


मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
शामली


अधिशाली अभियन्ता
लघु सिंचाई, विभाग-
शामली।


जिला सूचना एवं जनसम्पर्क
अधिकारी
शामली


अधिशाली अभियन्ता पूर्वी
यमुना नहर,
शामली


जिला पंचायत राज अधिकारी,
शामली


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शामली


मुख्य विकास अधिकारी
शामली


जिलाधिकारी
(अध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
शामली